

3-1-18

यह इजराय की जवाहीर प्रसाद शर्मा ने पेय
लि गरी / रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया / इजराय
की राजस्थर खेपट पालना हेतु लक्ष्मीप्रदार
कामनवास को लखरीर जारी कृत पत्रावली दिनांक
5/2/18 को पेय हो

उप जिला कलेक्टर
कामनवास (स० मा०)

31/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प रिवाली
में प्रेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया
गया उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में मातृगीत
~~कलकल~~ R.A.A स० मा० के न्यायालय से स्विकृत
है अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही की
गयी की जा सकती है अतः पत्रावली
इसी स्तर पर शेष की बाकत तन्त्र से
कम हो

उप जिला कलेक्टर
कामनवास (स० मा०)

राजस्थान -सरकार

डिकरी व मुकदमें इत्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

15/3/17 822/2002
नाथूराम / लडडू लाल
22/2/2002 30/6/17

अज अदालत :- उपजिला कलेक्टर बामनवास
इजलास: :- रामकिशोर मीना (आर.ए.एस.)

1. नाथूराम पुत्र तेज्या रैगर निवासी रिवाली तहसील बामनवास
2. लडडू लाल पुत्र तेज्या रैगर निवासी रिवाली तहसील बामनवास

:- वादी :-

बनाम

1. कैलाश पुत्र छीतर जाति रैगर निवासी रिवाली तहसील बामनवास
2. मुरारी पुत्र छीतर जाति रैगर निवासी रिवाली तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

:- प्रतिवादी :-

दावा बाबत धोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा न. :-822/2002

डिकी जारी दिनांक:-30.6.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी :-लैण्ड होल्डर मिनजानिव मुददई व मिनजानिव मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि

वाद वादी अंतिम डिकी किया जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार धोषित किया जाता है ।

1. नाथूराम ,लडडूलाल के खेत हांल ख.न. 604/2524 की तरमीम सुकार मुख्य सडक के सहारे सहारे की जावे । तथा रिवाली की तरफ कैलाश के खेत हांल ख.न. 604/2525 की तरमीम की जावे ।

नोट:- यह डिकी माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.5.2017 में दिये गये आदेशो की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.9.2006 के अनुरूप जारी की गई ।

यह डिकी आज दिनांक 30.6.2017 को इस न्यायालय की और से जारी की गई ।



उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स.म.)
(रामकिशोर मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स.म.)